न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0, 157/2022,(जी.सी.एम.एस. न. 2022/298) पीठासीन अधिकारी:—डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. रामभरोसी
2. जगदीश
3. ओमी
4. बृजकिशोर
5. राजेन्द्र

पुत्रगण लक्ष्मन

6. ऊषा पुत्री लक्ष्मन

जातियान खाती नि0ग्राम कौरेर तहसील व जिला डीग

—वादीगण

बनाम

1. वीरेन्द्र सिंह
2. हेमन्त
3. विजय सिंह
4. जीतेन्द्र सिंह

पुत्रगण छीतर

5. वन्दना चौधरी पुत्री छीतर सिंह

वारिस व काविज जायदाद भूदेवी पत्नी छीतर सिंह जातियान जाट नि0 कौरेर तहसील व जिला डीग(राज0)

6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार डीग जिला डीग(राज0)

—प्रति0

दावा बाव उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय **दिनांक: 18.03.2024**

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 1191/0.31,वाके ग्राम कौरेर तहसील डीग में स्थित है। आराजी खसरा नम्बरान 1190/0.31,1191/0.31 का हिस्सा 1/2 प्रति0 की माता भूदेवी पत्नी छीतर सिंह की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। जिस पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चली आ रही थी। प्रति0 की माता भूदेवी ने अपनी विधिक आवश्यकता के कारण उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 02.11.2011 को वादीगण के पिता लक्ष्मन पुत्र दौलतिया के पक्ष में बेचान कर दिया और दखल व कब्जा मुताविक बयनामा वादीगण के पिता को दे दिया जिसके वाद वादीगण का पिता उक्त आराजी पर अपने जीवनकाल में वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के बाद वादीगण उक्त आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। आराजी खसरा नम्बरान 1190/0.31, 1191/0.31 के हिस्सा 1/2 का बयनामा वहक पिता वादीगण तहरीर एवं तस्दीक होने के

Scanned with OKEN Scanner

पश्चात वादीगण के पिता मुताविक बयनामा अपने पक्ष में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जाने के लिए प्रति० संख्या 6 के समक्ष बयनामा पेश किया। लेकिन प्रति० संख्या 6 के अधीनस्थ पटवारी हल्का द्वारा मुताविक बयनामा दिनांक 02.11.2011 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया और वादीगण के पिता के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 1190/0.31 के हिस्सा 1/2 का ही नामान्तरकरण संख्या 1170 दर्ज किया तथा खसरा नम्बर 1191/0.31 के हिस्सा 1/2 को बिना किसी विधिक कारण के भूलवश छोड दिया जिसके पश्चात उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत कौरेर द्वारा दिनांक 22.02.2012 को स्वीकृत कर दिया गया। उक्त नामा0 दर्ज होने के पश्चात प्रति0 की माता भूदेवी पत्नी छीतर सिंह का निधन होने के पश्चात विवादित ख0नम्बर 1191/0.31 के हिस्सा 1/2 का इन्द्राज बतौर विधिक वारिस प्रति0 संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हो गया। जबकि प्रति0 संख्या 1 लगायत 5 का बाद बयनामा उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है और प्रति0 को वादीगण को वादीगण के पिता के पक्ष में हुए प्रति0 ने विरासत का नामान्तरकरण अपने पक्ष में दर्ज करा लिया है। प्रति0 का उक्त आराजी पर कोई कब्जा किसी प्रकार से नहीं है और वादीगण के पिता के निधन के पश्चात वादीगण उक्त आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और मुताविक बयनामा वादीगण विवादित ख0नम्बर 1191/0.31 के हिस्सा 1/2 पर प्रति0 के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराना चाहते है। अतः निवेदन है कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1191/0.31 स्थित ग्राम कौरेर तहसील डीग के हिस्सा 1/2 के वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर प्रति0 क नाम दर्ज आराजी को कलमजन किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 संख्या 01 लगायत 04 की ओर से दिनांक 04.11.2022 को श्री गोकलचन्द शर्मा एड0उपस्थित आये। दिनांक 05.01.2023 को प्रति0 संख्या 01 लगायत 04 की ओर से इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 27.10.2023 को प्रति0 संख्या 05 की ओर से इकबाल दावा एवं जबाव सरकार पेश किया गया।

प्रकरण पर वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रति0 संख्या 01लगायत 05 की ओर से प्रस्तुत इकबाल दावा/राजीनामा व अन्य राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन तथा वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत बहस, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, इकबाल दावा/राजीनामा का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। मुताविक बयनामा दिनांक 02.11.2011 भूदेवी पत्नी छीतर

उपखण्ड अधिकारी
डीग

सिंह जाति जाट नि0 कौरेर तहसील डीग के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा वादीगण के पिता लक्ष्मन पुत्र दौलतिया के पक्ष में आराजी खसरा नम्बरान 1190/0.31, 1191/0.31 वाके ग्राम कौरेर तहसील डीग कुल रकबा 0.62 हैक्टे0 हिस्सा 1/2 का बेचान किया गया। उक्त रजिस्टर्ड बयनामा का नामान्तरकरण संख्या 1170 में आराजी खसरा नम्बर 1190/0.31 हिस्सा 1/2, हिस्से का ही भरा जाकर स्वीकृत किया गया है तथा बयनामा में वर्णित दूसरे आराजी खसरा नम्बर 1191/0.31 हिस्सा 1/2 को नामान्तरकरण में दर्ज किये जाने से रह गया है। उक्त दोनों आराजी खसरा नम्बरान 1190/0.31, 1191/0.31 पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। प्रति0 संख्या 01लगायत05 के द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबालदावा/राजीनामा में भी यह स्वीकार किया गया है कि दावा की मद संख्या 08 के अनुसार दावा डिक्री किया जाता है तो हम प्रति0 को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है।

उक्त विवरण अनुसार हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टि0 एक्ट, को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :—

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने से **स्वीकार** किया जाता है। वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1191/0.31 स्थित ग्राम कौरेर तहसील डीग के हिस्सा 1/2 वाहिस्सा बरावर मुताविक बयनामा दिनांक 02.11.2011 के आधार **पर** खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1191/0.31 के हिस्सा 1/2 से प्रति0 संख्या 01 लगायत 05 के नाम दर्ज आराजी को कलमजन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम– डिक्री

(ऑर्डर 20 नियम–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत:– उपखण्ड अधिकारी, डीग जिला डीग(राज0) पीठासीन अधिकारी:–डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

प्र0सं0, 157/2022,(जी.सी.एम.एस. न. 2022/298)

उनवान

1. रामभरोसी
2. जगदीश
3. ओमी
4. बृजकिशोर
5. राजेन्द्र

पुत्रगण लक्ष्मन

6. ऊषा पुत्री लक्ष्मन

जातियान खाती नि0ग्राम कौरेर तहसील व जिला डीग

–वादीगण

बनाम

1. वीरेन्द्र सिंह
2. हेमन्त
3. विजय सिंह
4. जीतेन्द्र सिंह

पुत्रगण छीतर

5. वन्दना चौधरी पुत्री छीतर सिंह

वारिस व काविज जायदाद भूदेवी पत्नी छीतर सिंह जातियान जाट नि0 कौरेर तहसील व जिला डीग(राज0)

6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार डीग जिला डीग(राज0)

–प्रति0

दावा बाव उदघोषणा अन्तर्गत धारा
88,89,राज.टि0एक्ट,

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने से **स्वीकार** किया जाता है। वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1191/0.31 स्थित ग्राम कौरेर तहसील डीग के हिस्सा 1/2 वाहिस्सा बरावर मुताविक बयनामा दिनांक 02.11.2011 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1191/0.31 के हिस्सा 1/2 से प्रति0 संख्या 01 लगायत 05 के नाम दर्ज आराजी को कलमजन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे।

निर्णय/पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.03.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
डीग

Scanned with OKEN Scanner